

न्यायालय _____

 मुकदमा संख्या / वर्ष _____
 दिनांक _____
 वनाम वसुलाल
 31/2018

क्र. सं.	दिनांक वाता या कार्रवाई	आका विवरण एवं नं	विवरण विवरण
			<p>अनुमा इंसानि ठेकी विषयगत हे वि. नं. 25 अहकाम (व. नं. 49 रकबा 17 बिघा, र. नं. 52 रकबा 2 बीघा 9 किन्ना, र. नं. 64 रकबा 1 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 6 किन्ना निप्रत प्रत मोहनपुरा तहसील मही जिला नयपुर से र. नं. 43 रकबा 0.2150 हेम्रे, 64 रकबा 0.2549 हेम्रे, 52 रकबा 0.1700 हेम्रे, 52 रकबा 0.0840 हेम्रे कुल किता 4 कुल रकबा 0.7219 हेम्रेपर की प्रति विवेदा देवा पुत्र गंगा राम भाति माली हा. डेड के हिस्से में रहेगी वधा (व. नं. 52 रकबा 0.3656 हेम्रेपर की प्रति खातेदार गजेश बामिपण पुत्र कुलचर हे. 10, राजसुमाल पुत्र कुलचर हे. 10, शिवराम पुत्र कुलचर हे. 10, खरबारा बामिपण पुत्र कुलचर, हे. 10</p> <p style="text-align: right;">(26)</p>

2018/00/05

सहायक कलेक्टर वस्ती विकास विभाग

21/12 - देना वनाय बाबुलाल

क्र. सं.	दिनांक आग्रा या कार्यवाही	आग्रा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>हरिनाथपुत्र पुत्र मूलपत्र सं. 10 शहर प्र. के केम धारका कमी काबुलाल पुत्र कल्याण सं. 1/2 सं. 1/2 भाली भा. देह के हिस्से में रहने उक्तानुसार राखन किमई में उक्त दस्तावे हैं तहसील द्वा. कमी के आदेश देना जाता है। कुंजाब व नमो का ड अनुसोदन मेजे जावे। डिप्टी फकी जारी हो। निर्णय व डिप्टी को पालना हेतु तहसील जारी हो। परावकी फौजिल धुमा होमा का ड तहसील द्वा. किम दफतार है।</p>	

26

सहायक कलेक्टर वस्ती विकास विभाग

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. देवा पुत्र बाबूलाल. जाति माली, निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।		1. बाबूलाल पुत्र कल्याण 2. गणेशनारायण पुत्र स्व. मूलचन्द 3. हरिनारायण पुत्र स्व. मूलचन्द 4. सूरजनारायण पुत्र स्व. मूलचन्द 5. रामस्वरूप पुत्र स्व. मूलचन्द 6. राजकुमार पुत्र स्व. मूलचन्द समस्त जाति माली निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर। 7. VCO बैंक शाखा बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर जरिये मैनेजर 8. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।


दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा


मुकदमा नं 31/2018

निर्णय दिनांक 13.08.2022

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 49 रकबा 17 बिस्वा खसरा नं. 52 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं. 64 रकबा 1 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से खसरा नं. 49 रकबा 0.2150 हेक्टर, खसरा नं. 64 रकबा 0.2529 हेक्टर, खसरा नं. 52/1 रकबा 0.1700 हेक्टर, खसरा नं. 52/3 रकबा 0.0840 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7219 हेक्टर की भूमि खातेदार देवा पुत्र गंगाराम जाति माली सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नं. 52/2 रकबा 0.3656 हेक्टर की भूमि खातेदार गणेशनारायण पुत्र मूलचन्द हि. 1/10 राजकुमार पुत्र मुलचन्द हि. 1/10 रामस्वरूप पुत्र मूलचन्द हि. 1/10 सूरजनारायण पुत्र मूलचन्द हि. 1/10 हरिनारायण पुत्र मूलचन्द हि. 1/10 राहिन यूको बैंक शाखा बस्सी बाबूलाल पुत्र कल्याण हि. 1/2 जाति माली सा. देह के हिस्से में रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है। कुरेजात व नक्शे वाद अनुमोदन भेजे जावे।.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा.....इस मुकदमे का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।


वसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 13.08.2022 को जारी



दस्तख्त 
सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


 सहायक कलक्टर
 बस्सी जिला जयपुर